

विषयः— नियमितीकरण नियम 2012 के संबंध में।

प्रकरण के तथ्यः—

नगर निगम जयपुर द्वारा (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितीकरण उपविधियां, 2012) बनाये गये हैं जो कि जनवरी 23, 2013 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हैं। इन विनियमों में विनियमों के नोट संख्या 4 में निम्नानुसार अंकित हैं—

“इन उपविधियों के प्रभावी होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण (भवन अनियमित निर्माण नियमबद्धता/नियमितीकरण) विनियम 1989 नगर निगम जयपुर क्षेत्र में प्रभावी नहीं रहेंगे।”

इन विनियमों में नियमन दर आवासीय आरक्षित रखी गई है।

पूर्व में नियमितीकरण हेतु नियमितीकरण नियम 1989 लागू थे जिनमें नियमन दर आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी थी।

यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पूर्व के नियमों में नियमितीकरण शुल्क सभी मदों में अधिक था वर्तमान में लागू नियमितीकरण नियम 2012 में सभी मदों में नियमितीकरण नियम 2012 शुल्क काफी कम है।

प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

एजेण्डा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- प्रकरण में प्रशानिक स्तर पर निदेशक विधि से राय लिया जाकर कार्यवाही की जायें।

समिति को क्षेत्राधिकार के बाटू का पुकार द्वारा इसकी विधि समिति को दिया जा सकता है।

 अध्यक्ष, महापौर नगर निगम, जयपुर	 सदस्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर	 सदस्य, अतिथि मुख्य नियोजक नगर निगम, जयपुर	 सदस्य, अतिथि मुख्य अभियन्ता नगर निगम, जयपुर	 अधुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर
---	---	---	---	--

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्

1. प्रार्थी का नाम :— श्री जयराम दास लालवानी
2. भूखण्ड सं./योजना :— 801, आदर्श नगर, जयपुर
3. प्रकरण के तथ्य :—


आयुक्त (आयोजना) द्वारा सार्वजनिक सूचना बाबत् विज्ञप्ति क्रमांक 904 दिनांक 15.05.2013 को प्रार्थी के खर्च से राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रार्थी को दिनांक 15.05.2013 को दी गई। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक सार्वजनिक सूचना नहीं छपवाई गई जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का उप विभाजन एवं नाम हस्तांतरण में कोई रुचि नहीं है।

अतः प्रकरण निरस्तीकरण हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


4. समिति का निर्णय :— आवेदक द्वारा निगम के पत्र का कोई जबाब नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण को सूचना के अभाव में निरस्त किया जाता है।

उमरी
अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर


सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अतिरिक्त मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्

1. प्रार्थी का नाम :— श्री श्याम सुन्दर खटोरिया व अन्य
2. भूखण्ड सं./योजना :— एसबी-39, बापू नगर, जयपुर
3. प्रकरण के तथ्यः—

पत्रावली दिनांक 17.04.2013 को आयोजना प्रकोष्ठ में प्राप्त हुई। तत्पश्चात् स्वामित्व जांच हेतु रेवेन्यू प्रकोष्ठ में दिनांक 26.04.2013 को प्रेषित की गई। उसके पश्चात् दिनांक 27.05.2013 को बिना स्वामित्व जांच के तकनीकी जांच हेतु पत्रावली प्राप्त हुई। रेवेन्यू प्रकोष्ठ ने अंकित किया कि प्रकरण की मूल पत्रावली हेतु जविप्रा को पत्रांक 365 दिनांक 24.05.2013 द्वारा निवेदन किया जा चुका है एवं प्रश्नगत भूखण्ड से संबंधित चेन ऑफ डाक्यूमेंट्स हेतु प्रार्थियों को पत्रांक 278 दिनांक 10.05.2013 एवं 364 दिनांक 24.05.2013 द्वारा निवेदन किया गया हैं परन्तु प्रार्थियों द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. समिति का निर्णय :— आवेदक द्वारा निगम के पत्र का कोई जबाब नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण को सूचना के अभाव में निरस्त किया जाता है। आवेदक बोर्ड के अधृत में उपस्थीत हुका टंडा टोक की ओवराइट कामा की टट्टू लुचना धूल्हूत कर देगा। उस के लार्डेज में प्रकल्प के अधृत में ट्रांस्फर करने का निर्दम रिक्विझन भरा जाएगा।

अध्यक्ष
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिरिक्त मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती लक्ष्मी देवी व अन्य।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 33, राजापार्क, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—

1. आवेदन दिनांक : 26.08.2011

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— राजापार्क।

(ii) आवंटित :— हाँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 62/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	520.00 व. ग.	522.29 व. ग.	—
प्रस्तावित	260.00 व. ग.	260.00 व. ग.	260.00 व. ग.
उपविभाजन			

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) योजना/प्लान के अनुसार :— 40'-0"

(ii) मौके अनुसार :— 40'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :— दस्तावेज के आधार पर स्वामित्व सही है। (92/एन)

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर उक्त भूखण्ड पर ग्राउण्ड फ्लोर निर्माण निर्मित है तथा आवासीय उपयोग में लिया जा रहा है। मौके पर आवेदक का क्षेत्रफल $26'-0'' \times 90'-0'' = 260.00$ व. ग. होता है तथा भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 40'-0" है। (62/एन)

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :—

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. 33 (पूर्वी भाग) पर देय पैरामीटर
अग्र	30'-0"	अग्र	30'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	साइड प्रथम	0'-0"
साइड द्वितीय	0'-0"	साइड द्वितीय	0'-0"
पीछे	5'-0"	पीछे	5'-0"

10. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
2. आवेदक द्वारा मूल भूखण्ड $52'-0'' \times 90'-0'' = 520.00$ व. ग. में से 260.00 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है जबकि जारी साईट प्लान अनुसार उक्त मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल $89'-9'' \times 52'-6'' = 522.29$ व. ग. अंकित है, इसकी गणना करने पर 523.54 व. ग. आता है।

3. मौका रिपोर्ट अनुसार अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। इस बाबत् अग्र सैटबैक में निर्माण 10 वर्ष पुराना है, का प्रमाणित दस्तावेज/सबूत हेतु आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट एवं भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

4. मौका रिपोर्ट अनुसार साइड व पीछे के सैटबैक में अवैध निर्माण है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 की अनुपालना किसी भूखण्ड के उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

11. शुल्क

■ भू. सं. 33 (पूर्वी भाग)

- | | |
|---|----------------|
| i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) | 10870/- रुपये। |
| ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) | 5435/- रुपये। |

12. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार भू. सं. 33 (पूर्वी भाग) का उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

13. समिति का निर्णय :-

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार मूल भूखण्ड के सैट बैक यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है।
2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मुमुक्षु नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मुमुक्षु अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आमुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रस्ताव सं. 05

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. आवेदन दिनांक : 02.03.

1. प्रार्थी का नाम :- श्री सलीम कागजी पुत्र हाजी श्री सुलेमान,
2. भू सं./योजना का नाम :- बी-6-बी, फतेहटीबा, आदर्श नगर।
3. भूखण्ड का प्रकार :-
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- फतेहटीबा, आदर्श नगर।
(ii) आवंटित :- हाँ।
4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों 20/एन के अनुसार	मौके पैरा 13/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	1066.66 व. ग.	-	-
प्रस्तावित उपविभाजन	533.33 व. ग.	533.33 व. ग.	40'-9" 120'-0" = 543.33 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना / प्लान के अनुसार :- 50'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 49'-0" (13/एन)

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण:- सड़क मार्गाधिकार 50'-0" चौड़ा किये जाने हेतु 0'-6" चौड़ी भू-पट्टी गहराई में निःशुल्क समर्पित करवाई जानी है।

7. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व कार्यालय टिप्पणी अनुसार 533.33 व. ग. क्षेत्रफल पर श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री हाजी मोहम्मद सुलेमान जरिये निदेशक, कोहीनूर बिल्डहोम प्रा. लि., जयपुर का स्वामित्व सही है। (20/एन)

8. मौका रिपोर्ट :- मौके पर उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण निर्मित नहीं है। भूखण्ड खाली है। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 40'-9"X120-0" = 543.33 व. ग. होता है। (13/एन)

9. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-

10. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	प्रस्तावित भू. स. बी-6-बी पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	20'-0"	20'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	10'-0"
साइड द्वितीय	10'-0"	0'-0"
पीछे	5'-0"	5'-0"

11. टिप्पणी :-

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।

2. आवेदक द्वारा मूल भूखण्ड $80' - 0'' \times 120' - 0'' = 1066.66$ व. ग.
में से $40' - 0'' \times 120' - 0'' = 533.33$ व. ग. का उपविभाजन चाहा गया
है जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार $40' - 9'' \times 120' - 0'' = 543.33$ व. ग.
अंकित है। इस प्रकार गहराई 10.00 व. ग. भूमि अधिक है। अतः
अधिक भूमि बाबत् विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. सडक मार्गाधिकार $50' - 0''$ छोड़ा किये जाने हेतु $0' - 6''$ छौड़ी
भू-पट्टी गहराई में निःशुल्क समर्पित करवाई जानी है।

12. प्रस्ताव :- निम्नांकित शर्तों के साथ उपविभाजन तकनीकी रूप से अनुमोदन
योग्य है।

- I. मौके पर प्रार्थी के कब्जे में 10.00 व. ग. भूमि अधिक है। जिसका
नियमानुसार आवंटन किया जाना है।
- II. मौके पर $49' - 0''$ छौड़ी सडक है। अतः $50' - 0''$ छौड़ा किये जाने हेतु
 $0' - 6''$ छौड़ी भू-पट्टी समर्पित करवाई जानी है।

13. समिति का निर्णय :-

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार मूल भूखण्ड के सेट बैक यथावत रखते हुए
प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है।
2. सडक की छोड़ाई को $50' - 0''$ किये जाने हेतु आवेदक से $0' - 6''$ गहरी भूमि सडक
के समानान्तर समर्पित कराई जायें।
3. भूखण्ड में जो 10 वर्ग गज भूमि अतिरिक्त है उसे आवंटित किये जाने का निर्णय
लिया गया। उक्त अतिरिक्त भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जाएँ।
4. समस्त शुल्क जमा होने, व सडक की छोड़ाई हेतु भूमि समर्पण के पश्चात् व
अतिरिक्त भूमि का शुल्क जमा होने के बाद उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

अधिकारी
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य
अतिठि मुरो नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिठि मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :- श्री नीरज मित्रा व अन्य
2. भू. सं./योजना का नाम :- 748, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :-

- (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- आदर्श नगर।
- (ii) आवंटित :- हौँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों 19/एन के अनुसार	मौके पैरा 30/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	487.50 व. ग.	-	487.50 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	217.39 व. ग.	217.39 व. ग.	

5. सड़क की चौड़ाई :-

- (i) योजना / प्लान के अनुसार :- 50'-0"

- (ii) मौके अनुसार :- 50'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्राकली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार श्रीमती आशा मित्रा एवं श्री नीरज व अनिल के नाम 217.39 व. ग. पर स्वामित्व सही है। (19/एन)

7. मौका रिपोर्ट :- मौके पर भूखण्ड खाली है तथा भूखण्ड के सामने स्थित रोड की चौड़ाई 50'-0" है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 487.50 व. ग. है। (30/एन)

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र का स्केच :- मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	प्रस्तावित भू. सं. 748 पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	30'-0"	10'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	0'-0"
साइड द्वितीय	0'-0"	5'-0"
पीछे	5'-0"	0'-0"

10. टिप्पणी :-

1. प्रस्तावित उपविभाजन भूखण्ड के सैटबैक मूल भूखण्ड के सैट बैक अनुसार प्रस्तावित किये गए है। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपविभाजन मानचित्रानुसार मूल भूखण्ड 487.50 व. ग. में से 217.39 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है।

11. शुल्क

■ भू. सं. 748

i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 9089/- रुपये।

ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 4545/- रुपये।

12. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

13. समिति का निर्णय :-

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार मूल भूखण्ड के सैट बैक यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है।

2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य प्रभावित,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – उपविभाजन व पुनर्गठन स्वीकृति बाबत। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती पुनीता नीचानी।

2. भू. सं./योजना का नाम :— 525, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर।

3. भूखण्ड का प्रकार :—

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर।

(ii) आवंटित :— हाँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के 24/एन अनुसार	मौके पैरा 43/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	60'-0" x 40'-0" = 266.66 वर्ग गज	—	60'-0" x 40'-0" = 266.66 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	54.04+53.33 = 107.37 वर्ग गज	89.79 व. मी. (107.35 वर्ग गज)	107.37 वर्ग गज (89.77 वर्ग मीटर)

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) योजना/प्लान के अनुसार :— स्केल से नापने पर 50'-0" एवं 60'-0"

(ii) मौके अनुसार :— 49'-9" (6/एन)

6. स्वामित्व रिपोर्ट :— संलग्न दस्तावेज अनुसार आवेदिका श्रीमती पुनीता निचानी द्वारा दो भागों में क्रमशः 45.20 व 44.59 = कुल 89.79 व. मी. भाग क्रय किया है, और इस पर स्वामित्व सही है। (24/एन)

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर उक्त भूखण्ड आवेदक के दो भागों में बांटा गया है। मौके पर उक्त भूखण्ड के आधे भगा 1/2 भाग जी+1 तथा 1/2 भाग ग्राउण्ड फ्लोर आवासीय निर्माण निर्मित है तथा दोनों भागों का क्षेत्रफल $24'-2'' \times 40'-0'' = 107.37$ व. ग. होता है। (6/एन)

मौके पर भूखण्ड पर सड़क की तरफ कब्जा किया हुआ। आवेदित भाग में सामने दीवार तोड़कर सड़क की तरफ हटा लिया गया है तथा मलबा उठाने का कार्य प्रगति पर है। प्रार्थी से साईड की दोनों दीवारों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया है कि यह कॉमनवाल है। मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल $60'-0'' \times 40'-0'' = 266.66$ व. ग. है। (43/एन)

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक के सैट बैक अंकित नहीं है। तालिका 1 के अनुसार प्रस्तावित :—

पैरामीटर	मूल भूखण्ड (तालिका-1)	पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. 525 पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	4.5 मी.	अग्र	3.0 मी.
अग्र द्वितीय	3.0 मी.	साइड प्रथम	0.0 मी.
साइड प्रथम	0.0 मी.	साइड द्वितीय	0.0 मी.
साइड द्वितीय	3.0 मी.	पीछे	0.0 मी.

10. टिप्पणी :—

- प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक पत्रावली एवं उक्त भूखण्ड के आस-पास की पत्रावलियों में नहीं होने के कारण भवन विनियम 2010 की तालिका "1" के प्रावधानानुसार प्रस्तावित किये गये हैं।
- आवेदक का प्लाट क्वाटरनुमा बना हुआ है। पत्रावली में कोई अनुमोदित मानचित्र, साईड प्लान संलग्न नहीं है। आस-पास की पत्रावलियों में भी नहीं है। तालिका 1 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।
- उक्त भूखण्ड में से आवेदक द्वारा दो अलग-अलग रजिस्ट्रीयों द्वारा क्रय किया गया है। अतः पुनर्गठन की राशि लिया जाना है।
- प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड का उपविभाजन अनुमोदित किये जाने के पश्चात् शेष बचे दोनों साइड वाले हिस्सों पर नियमानुसार सैटबैक छोड़ने के पश्चात् निर्माण योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है।
- मौका रिपोर्ट अनुसार साइड एवं पीछे के सैटबैक में अनाधिकृत निर्माण है। अतः नगरीय विकास विभग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार किसी भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध

- निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह 70/सी पर संलग्न है।
6. मौका रिपोर्ट अनुसार अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिषद दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। इस बाबत् आवेदक द्वारा 10 वर्ष पुराना निर्माण बाबत् आर्केट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जो पत्रावली में 71/सी पर संलग्न है। साथ ही किसी भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से अग्र सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।
 7. सड़क को 50'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से 1½" भूमि समर्पित करवाये जाने हेतु निर्णय लिया जाना है।

11. शुल्क

■ भू. सं. 525		
i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	4489/-	रुपये।
ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	2245/-	रुपये।
■ भू. सं. 525		
i. पुर्नगठन शुल्क (100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	8977/-	रुपये।
ii बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	2245/-	रुपये।

12. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार उपविभाजन व पुर्नगठन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

13. समिति का निर्णय :-

1. प्रकरण बाबत् समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य नगर नियोजक राजस्थान जयपुर से राय प्राप्त की जाये कि क्या उक्त प्रकरण में उपविभाजन व पुर्नगठन किया जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि मूल भूखण्ड में प्रस्तावित उपविभाजित/पुर्नगठित भूखण्ड के बाद शेष दोनों तरफ रहे भूखण्ड के पार्ट में निर्माण योग्य क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा है।
2. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान से प्रकरण में जो राय प्राप्त होती है उसके साथ प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में रखा जायें।

मुख्य
अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

अप्युक्त (अधियोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती नीरु भाटिया।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 291/6, राजापार्क, जयपुर।

3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— राजापार्क।
 - (ii) आवंटित :— हाँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों पैरा 16/एन के अनुसार	मौके पैरा 13/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	507.50 व. ग.	507.50 व. ग.	—
प्रस्तावित उपविभाजन	291	253.75 व. ग.	253.75 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) योजना / प्लान के अनुसार :— 40'-0"
- (ii) मौके अनुसार :— 40'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व कार्यालय टिप्पणी अनुसार भू. सं. 291, राजापार्क पर श्रीमती रुचि भार्गव एवं श्रीमती नीरु भाटिया का 253.75+253.75 व. ग. पर स्वामित्व प्रकट होता है। (16/एन)

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर उक्त भूखण्ड के एक भाग 291-ए में जी+1 फ्लोर आवासीय निर्माण निर्मित है तथा उक्त भूखण्ड के दूसरे भाग जिसको 291 सीकम में दर्शाया गया है उसमें ग्राउण्ड फ्लोर आवासीय निर्माण निर्मित है तथा दोनों में आवेदक सपरिवार निवास कर रहे हैं। मौके पर उक्त भूखण्ड के दोनों भागों का बराबर-बराबर भाग 253.71 व. ग. व 253.75 व. ग. होता है। (13/एन)

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	प्रस्तावित भू. सं. 291 पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	30'-0"	30'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	10'-0"
साइड द्वितीय	0'-0"	0'-0"
पीछे	5'-0"	5'-0"

10. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
2. आवेदकगण द्वारा मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 507.50 व. ग. में से 253.75 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
3. मौका रिपोर्ट अनुसार अग्र सैटबैक में व्यावसायिक निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। इस बाबत् अग्र सैटबैक में निर्माण 10 वर्ष पुराना है, का प्रमाणित दस्तावेज़/सबूत बाबत् अर्पिता जैन एण्ड एसोसियेट एवं अंकित शर्मा द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र एवं किसी भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

11. शुल्क

- भू. सं. 291

- i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)

10609/- रुपये।

ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 5305/- रुपये।

12. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

13. समिति का निर्णय :—

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार मूल भूखण्ड के सेट बैंक यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है।
2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

उम्मीद
अधिकारी
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य
अतिथि मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन — उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती रुचि भार्गव।
2. भू. सं./योजना का नाम :— 291/6, राजापार्क, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— राजापार्क।
 - (ii) आवंटित :— हाँ।
4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों पैरा 16/एन के अनुसार	मौके पैरा 13/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	507.50 व. ग.	507.50 व. ग.	—
प्रस्तावित उपविभाजन	291-ए	253.75 व. ग.	253.75 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

- (i) योजना / प्लान के अनुसार :— 40'-0"
- (ii) मौके अनुसार :— 40'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :— पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व कार्यालय टिप्पणी अनुसार भू. सं. 291, राजापार्क पर श्रीमती रुचि भार्गव एवं श्रीमती नीरु भाटिया का 253.75+253.75 व. ग. पर स्वामित्व प्रकट होता है। (16/एन)
7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर उक्त भूखण्ड के एक भाग 291-ए में जी+1 फ्लोर आवासीय निर्माण निर्मित है तथा उक्त भूखण्ड के दूसरे भाग जिसको 291 स्कीम में दर्शाया गया है उसमें ग्राउण्ड फ्लोर आवासीय निर्माण निर्मित है तथा दोनों में आवेदक सपरिवार निवास कर रहे हैं। मौके पर उक्त भूखण्ड के दोनों भागों का बराबर-बराबर भाग 253.71 व. ग. व 253.75 व. ग. होता है। (13/एन)
8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	प्रस्तावित भू. सं. 291-ए पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	30'-0"	30'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	0'-0"
साइड द्वितीय	0'-0"	0'-0"
पीछे	5'-0"	5'-0"

10. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
2. आवेदकगण द्वारा मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 507.50 व. ग. में से 253.75 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
3. मौका रिपोर्ट अनुसार अग्र सैटबैक में व्यावसायिक निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। इस बाबत् अग्र सैटबैक में निर्माण 10 वर्ष पुराना है, का प्रमाणित दस्तावेज/सबूत बाबत् अप्रिता जैन एण्ड एसोसियेट एवं अंकित शर्मा द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र एवं किसी भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

11. शुल्क

- भू. सं. 291-ए

i. उपविभाजन शुल्क (50/- रूपये प्रति वर्ग मीटर) 10609/- रूपये।

ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रूपये प्रति वर्ग मीटर) 5305/- रूपये।

12. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

13. समिति का निर्णय :—

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार मूल भूखण्ड के सैट बैक यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है।
2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन — बहुमंजिला आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

1. प्रार्थी का नाम :— मैसर्स प्रेम कार्गो मूवर्स प्रा. लि., जरिये निदेशक श्री अशोक कुमार जैन एवं अन्य।
2. भूखण्ड सं./योजना :— एस.बी.—166, बापू नगर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—
 - (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) (40/सी)
 - (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :— $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) (27/सी)
 - (iii) मौका अनुसार :— $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. (1114.83 व. मी.) (8/एन)
4. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— बापू नगर।
 - (ii) आवंटित :— हाँ।
5. सड़क की चौड़ाई :—
 - (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :— 100'-0" (27/सी)
 - (ii) मौके के अनुसार :— 100'-0" (8/एन)
6. भू—उपयोग
 - (i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।
 - (ii) प्रस्तावित :— आवासीय।
 - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग :— खाली है। कॉर्नर में एक गार्ड रूम टीनशेड बना हुआ है।
7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड खाली है। कॉर्नर में एक गार्ड रूम (टीनशेड) बना हुआ है। भूखण्ड किसी कार्य नहीं आ रहा है। भूखण्ड के सामने स्थित रोड की चौड़ाई 100'-0" है। भूखण्ड की मौके पर स्थिति स्केचानुसार है। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. है। (8/एन)
8. स्वामित्व रिपोर्ट :— 22/सी पर नाम हस्तांतरण पत्र 1333.33 व. ग. का संलग्न है।
9. तकनीकी रिपोर्ट :—
 - (i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1)	(2)	(3)	(4)
सैट बैक (न्यूनतम)	स्थल मानचित्रानुसार	भवन विनियम 2010 की तालिका "2" के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	40'-0"	40'-0" (12.19 मी.)	12.50 मी.
साईड प्रथम	15'-0"	20'-0" (6.10 मी.)	6.21 मी.
साईड द्वितीय	15'-0"	20'-0" (6.10 मी.)	6.21 मी.
पीछे	5'-0"	20'-0" (6.10 मी.)	6.93 मी.
ऊँचाई	—	8.11 के अनुसार 45.00 मी.	40.00 मी.
मंजिल	—	अंकित नहीं	बी+एस+12 तल
बेसमेंट	—	देय	प्रस्तावित
आच्छादन	—	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	33.55 प्रतिशत
एफ.ए.आर	—	मानक 1.33	3.168 अधिकतम 2.25+1.00

(ii) पार्किंग :— भवन विनियम अनुसार $= 47.10$ ई.सी.यू. (प्रस्तावित फ्लैट्स की सं. 22)

25 प्रतिशत अतिरिक्त $= 11.77$ ई.सी.यू.

कुल वांछित पार्किंग $= 58.87$ ई.सी.यू. (44 कार, 45 स्कूटर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित $= 59.00$ ई.सी.यू. (26 बेस कार+18 नैकेनिकल कार, 45 स्कूटर)

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान — आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान — आवश्यक है, प्रस्तावित है।

10. फायर अनापत्ति विवरण :— भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः फायर अनापत्ति ली जानी है।

11. भूखण्ड के चारों ओर एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार ड्राइव वे 3.6 मीटर उपलब्ध है।

12. भवन विनियम 2010 के नियम 12 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रस्तावित है।

13. विचारणीय बिन्दु :-

- आवेदक द्वारा 100'-0" चौड़ी सड़क पर स्थित उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 120'-0"X100'-0" = 1333.33 व. ग. (1114.83 व. मी.) पर बेसमेंट + स्टिल्ट + 12 तल की कुल 40.00 मी. ऊँचाई की आवासीय (फ्लैट्स) निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
- उक्त भूखण्ड पर नियमानुसार सैटबैक छोड़ते हुए बिल्डिंग ब्लॉक के बाहर बेसमेंट प्रस्तावित किया गया है। उक्त बेसमेंट की छत के ऊपर कुछ स्थान पर लैण्ड-स्केप प्रस्तावित है।
- चारों ओर की बालकोंनी कवर कर प्रस्तावित है, जो भवन विनियम 9.12 (ग) के अनुसार अनुज्ञेय है।
- 12 वीं तल पर सर्विस एरिया (क्लब, कम्यूनिटी हॉल, सोसायटी ऑफिस आदि) प्रस्तावित है, जो 7 प्रतिशत एफ.ए.आर. से मुक्त कर गणना की गयी है।
- टैरेस फ्लोर पर ओपन स्विमिंग पूल प्रस्तावित है, जो एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया गया है।
- आवेदक द्वारा प्रस्तावित कुल एफ.ए.आर. के अनुसार पार्किंग कम होने के कारण 12 वीं तल पर कुछ एरिया का कम करते हुये गणना की गयी है।
- भवन की ऊँचाई 40.00 मी. प्रस्तावित है। अतः नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

14. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

1. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क	312220/- रुपये।
2. मलबा शुल्क	10000/- रुपये।
3. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (क) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण अमानत राशि	600000/- रुपये।
4. लोगो राशि	1000/- रुपये।
5. सीवर शुल्क	453104/- रुपये।
6. अतिठी एफ.ए.आर. (2.25 तक)	2471142/- रुपये।
7. अतिठी एफ.ए.आर. (3.25 तक)	4257462/- रुपये।
8. बी.एस.यू.पी. शैल्टर	1064366/- रुपये।
9. बी.एस.यू.पी. शैल्टर	823714/- रुपये।
10. बी.एस.यू.पी. शैल्टर (ऊँचाई पर)	62444/- रुपये।

15. प्रस्ताव :- भवन मानचित्र संशोधन के साथ तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

16. समिति का निर्णय :-

- एजेंट्स में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिलीय आवासीय फ्लैट्स (बी+एस+12 तल कुल ऊँचाई 40 मीटर) अनुमोदित किये जाते हैं।
- प्रकरण में आवेदक से फायर व नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जाये।
- आवेदक द्वारा टैरेस फ्लोर पर जो ओपन स्विमिंग पूल प्रस्तावित है उसे एफ.ए.आर. में शामिल किया जायें।
- आवेदक द्वारा प्रस्तावित एफ.ए.आर. अनुसार पार्किंग उपलब्ध करा दी जाती है तो प्रस्तावित एफ.ए.आर. को अनुमोदित किया जाता है अन्यथा प्रस्तावित पार्किंग के समतुल्य एफ.ए.आर. को अनुमोदित कर मानचित्र जारी किये जायें।
- समस्त शुल्क जमा होने, फायर व नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिठी मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिठी मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत्। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— सोयल मोहम्मद जब्बार व अन्य।
2. भू सं./योजना का नाम :— 34 एच-1, चमेली वाला मार्केट, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— चमेली वाला मार्केट।
 - (ii) आवंटित :— निजी भूमि।

4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों 48/एन के अनुसार	मौके पैरा 108/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	1463.20 व. ग.	—	—
प्रस्तावित उपविभाजन	546.00 व. ग.	546.979 व. गी.	546.00 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) योजना / प्लान के अनुसार :— अंकित नहीं (स्कीम प्लान नहीं है।)

(ii) मौके अनुसार :— 20'-0" एवं 37'-0" (108/एन)

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण :— मौके पर रोड की चौड़ाई 20'-0" एवं 37'-0" है। अतः सड़क मार्गाधिकार को 30'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि समर्पित करवाई जानी है।

7. स्वामित्व रिपोर्ट :— इस भूखण्ड का क्षेत्रफल 546.979 व. गी. है तथा प्रार्थीगण ने इस भूखण्ड का ना. 34 एच-1, चमेली मार्केट, जयपुर होना अपने शपथ पत्र में अंकित किया है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक व राविया पुत्री नूर इलाही के द्वारा किये गये हक त्याग के पश्चात् उक्त भू सं. 34 एच-1, चमेली मार्केट, एम. आई. रोड, जयपुर पर मौ. सोहेल, मौ. सुऐव, मौ. जुबेर पिता नूर इलाही मौ. फुरकान, मौ. रियान, मौ. अब्दुल्ला नाबालिग व विलायत पिता नूर इलाही हिस्सा 7/8 बहिस्सा बराबर फातिमा नाबालिग व विलायत पिता नूर इलाही हिस्सा 1/8 का स्वामित्व सही है। (48/एन)

8. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड की नापें पत्रावली में 47/सी पर संलग्न पीटी सर्वे के अनुसार हैं। भूखण्ड का क्षेत्रफल 546.97 व. गी. है जो कि पीटी सर्वे के अनुसार है। मौके पर आधा भाग खाली है व आधा भाग पर भूतल बना हुआ है। जिसका कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा है। (26/एन)

मौके पर भूखण्ड में एक बरामदा बना हुआ है। बरामदा की स्थिति स्केचानुसार है। मौके पर 50'-0" x 13'-5" का एक बरामदा बना हुआ है। मौके पर प्रार्थी के भाग को 3'-0" ऊँची दीवार से सेपरेट किया हुआ है। (75/एन)

मौके पर भूखण्ड की मेजरमेट 64/सी पर संलग्न पीटी सर्वे के अनुसार है। भूखण्ड पर पीछे की ओर जी+1 पर निर्माण किया हुआ है। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल पीटी सर्वे अनुसार 546.00 व. ग. है। मौके पर भूखण्ड के सामने स्थित रोड की चौड़ाई 20'-0" एवं 37'-0" है। (108/एन)

मौके पर भूखण्ड पर पैरा 75/एन के अनुसार एक रूम ग्राउण्ड फ्लोर पर व उसके ऊपर आशिंक प्रथम तल निर्मित है। ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित रूम की साईज 20'-6" x 21'-0" है। (115/एन)

9. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।

10. मूल भूखण्ड एवं प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड के सैटबैक भवन विनियम 2010 की तालिका "1" अनुसार प्रस्तावित है :—

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	पैरामीटर	प्रस्तावित भू सं. पर देय पैरामीटर
अग्र	30'-0"	अग्र	30'-0"
साइड प्रथम	15'-0"	साइड प्रथम	15'-0"
साइड द्वितीय	15'-0"	साइड द्वितीय	0'-0"
पीछे	15'-0"	पीछे	15'-0"

11. टिप्पणी :—

1. मूल भूखण्ड एवं प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड के सैटबैक भवन विनियम 2010 की तालिका "1" अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
2. उक्त भूखण्ड चमेली वाला मार्केट निजी भूमि का है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपविभाजन मानचित्रानुसार मूल भूखण्ड 1463.20 व. ग. में से 546.00 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है।

3. मौका रिपोर्ट अनुसार साईड सैटबैक में निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार किसी भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का आवेदक से लिया जाना प्रस्तावित है।
4. मौके पर रोड की चौड़ाई 20'-0" एवं 37'-0" है। अतः सड़क मार्गाधिकार को 30'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि समर्पित करवाई जानी है।

12. शुल्क

■ भू. सं. 34 एच-1

i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	22827/- रुपये।
ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर)	11414/- रुपये।

13. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

14. समिति का निर्णय :-

1. प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई को पुनः परीक्षण कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिथि मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत्।

1. प्रार्थी का नाम :— श्रीमती आयुषी भार्गव।
2. भूखण्ड सं./योजना:— 100/176 व 100/177, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :—

(i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :— $15.00 \times 12.00 = 180.00$ व. मी.।

(ii) पुनर्गठन मानचित्र अनुसार :— $15.00 \times 12.00 = 180.00$ व. मी.।

(iii) मौका अनुसार :— $15.00 \times 12.00 = 180.00$ व. मी.।

4. भूखण्ड का प्रकार :—

(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— प्रताप नगर (राज. आवासन मण्डल)

(ii) आवंटित :— हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) योजना / प्लान के अनुसार :— 9.00 मी.।

(ii) मौके अनुसार :— 9.00 मी.।

6. भू—उपयोग

(i) मास्टर प्लान के अनुसार :— आवासीय।

(ii) प्रस्तावित :— आवासीय।

(iii) मौके पर भूमि / भवन का उपयोग :— निर्माणाधीन।

7. मौका रिपोर्ट :— मौके पर भूखण्ड पर बेसमेंट + भूतल बना हुआ है। मौके पर भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 9.00 मी. है तथा अग्र सैटबैक में 3.00 मीटर सैटबैक छोड़ा हुआ है। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल $12 \times 15 = 180.00$ व. मी. है। (पुनर्गठन पत्रावली के पैरा 25/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :— संलग्न दस्तावेजोंनुसार आवेदक का भू. सं. 100/176 व 100/177 पर श्रीमती आयुषी भार्गव का स्वामित्व जाहिर होता है। (पुनर्गठन पत्रावली के पैरा 14/एन)

9. तकनीकी रिपोर्ट :—

- (i) भवन के पैरामीटर्स :—

(1)	(2)	(3)	(4)
सैट बैक (न्यूनतम)	पुनर्गठन मानचित्रानुसार	भवन विनियम 2010 की तालिका “1” के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	3.00 मी.	3.00 मी.	3.00 मी.
साईड प्रथम	0.00 मी.	0.00 मी.	0.00 मी.
साईड द्वितीय	0.00 मी.	0.00 मी.	0.00 मी.
पीछे	2.50 मी.	2.50 मी.	0.00 मी.
ऊँचाई	—	12.00 मी.	10.20 मी.
मजिल	—	जी+2	बी+जी+2 तल
बेसमेंट	—	देय	निर्मित है
आच्छादन	—	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	60.48 प्रतिशत
एफ.ए.आर	—	जो भी प्राप्त हो	गणना की जानी है

- (ii) पार्किंग :— भवन विनियम अनुसार = आवश्यकता नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = नहीं है।

10. विचारणीय बिन्दु :—

1. राजस्थान आवासन मण्डल योजना के नगर निगम, जयपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक 609 दिनांक 05.04.21013 को पुनर्गठन मानचित्र जारी किये गये हैं। अब आवेदक द्वारा उक्त पुनर्गठित भूखण्ड पर बेसमेंट एवं भूतल निर्मित के ऊपर प्रथम व द्वितीय तल कुल 10.20 मीटर ऊँचाई की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।

2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये बेसमेंट एवं भूतल का मौके पर निर्माण किया हुआ है। अतः पीछे सैटबैक में निर्मित निर्माण 2.50 मी. में से 50 प्रतिशत भाग नियमबद्ध योग्य है, शेष निर्माण को ध्वस्त करवाया जाना है।
 3. प्रस्तावित मानचित्रानुसार प्रथम व द्वितीय तल पर पीछे के सैटबैक 2.50 मी. में निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो स्वीकृत योग्य नहीं है।
 4. शुल्क आदि की गणना निर्णयोपरांत किया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रस्ताव :— विचारणीय बिन्दु 10(1 से 4 तक) निर्णयोपरांत भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।
12. समिति का निर्णय :— प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायें।


अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर


सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अतिथि ० मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अतिथि ० मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रस्ताव सं. 13

दिनांक 29.05.2013

प्रयोजन – उपविभाजन स्वीकृति बाबत। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :— श्री राजबहादुर सिकिरिया।
2. भू. सं./योजना का नाम :— डी-48, हाथी बाबू मार्ग, बनीपार्क।
3. भूखण्ड का प्रकार :—
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :— बनीपार्क योजना।
 - (ii) आवंटित :— हैं।
4. क्षेत्रफल का विवरण :—

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों 32/एन के अनुसार	मौके पैरा 16 व 38/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	1687.00 व. ग.	1687.00 व. ग.	1687.00 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	249.85 व. ग.	249.85 व. ग.	249.85 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :—

(i) योजना / प्लान के अनुसार :— 40'-0" व 40'-0" (47/सी)

(ii) मौके अनुसार :— 36'-9" से 39'-0" व दूसरी रोड की नाये अंकित नहीं (6/एन)

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण :— प्रार्थी के प्रस्तावित भू-भाग के सामने मौके पर सड़क की चौड़ाई 36'-9" से 39'-0" तक है। अतः सड़क मार्गाधिकार को 40'-0" किये जाने हेतु प्रार्थी के भू-भाग में से आवश्यक भूमि समर्पित करवाई जानी है।
7. स्वामित्व रिपोर्ट :— पारिवारिक समझौते में पीले रंग से आवेदक का हिस्सा बताया गया है। (सी/17 क्र. सं. 3)। मौका रिपोर्ट अनुसार 249.85 व. ग. पर आवेदक का कब्जा है। दस्तावेजात अनुसार स्वामित्व सही है। (32/एन)
8. मौका रिपोर्ट :— मौके पर जी+1 तल आवासीय पुराना निर्माण निर्मित है। (पैरा 6/एन)

भूखण्ड की मेजरमेंट की तथा मौके भुजा कट मेजरमेंट की गयी। उसके अनुसार गणना करने पर भूखण्ड का क्षेत्रफल निम्नानुसार है। अन्य मेजरमेंट पैरा 6/एन के अनुसार हैः—

$$(i) 42'-0" + 48'-3" / 2 \times 24'-4" = 121.99 \text{ व. ग.।}$$

$$(i) 46'-0" + 48'-3" / 2 \times 24'-5" = 127.86 \text{ व. ग.।}$$

$$= 249.85 \text{ व. ग.।}$$

भूखण्ड का क्षेत्रफल (208.90 व. मी.) (पैरा 16/एन)

रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 1687 वर्ग गज है। (38/एन)

9. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :— मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।
10. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. डी-48-पार्ट पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	15'-0"	अग्र	15'-0"
अग्र द्वितीय	15'-0"	साइड प्रथम	चरपेटा (कॉमन पैसेज 10'-0" की तरफ)
साइड प्रथम	15'-0"	साइड द्वितीय	चरपेटा
साइड द्वितीय	15'-0"	पीछे	चरपेटा

11. टिप्पणी :—

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए है। भवन मानचित्र का अनुमोदन भवन विनियम 2010 के प्रावधानानुसार होगा।
2. प्रार्थी के प्रस्तावित भू-भाग के सामने मौके पर सड़क की चौड़ाई 36'-9" से 39'-0" तक है। अतः सड़क मार्गाधिकार को 40'-0" किये जाने हेतु प्रार्थी के भू-भाग में से आवश्यक भूमि समर्पित करवाई जानी है।
3. मूल भूखण्ड का 1500 व. ग. से अधिक है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

12. शुल्क

- भू. सं. डी-48-पार्ट
 - i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 10,446/- रुपये।
 - ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 5,223/- रुपये।
- कॉमन पैसेज
 - i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 93/- रुपये।

ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 47/- रुपये।

13. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार उपविभाजन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

14. समिति का निर्णय :-

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार मूल भूखण्ड के सैट बैंक यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन को अनुमोदित किया जाता है।
2. सड़क को 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से आवश्यक भूमि निशुल्क समर्पित कराई जायें।
3. समस्त शुल्क जमा होने, व सड़क को 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवश्यक भूमि निशुल्क समर्पित किये जाने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिठ मु0 नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
अतिठ मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रस्ताव सं. 14

प्रयोजन – पुनर्गठन स्वीकृति बाबत। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :- श्री राजेन्द्र कुमावत।
2. भू सं./योजना का नाम :- 43-44, अमरनाथ की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :-
 (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- अमरनाथ की बगीची, क.ब।।
 (ii) आवंटित :- हौँ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 71/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	43	50.00 व. ग.	अंकित नहीं
	44	50.00 व. ग.	
प्रस्तावित पुनर्गठन	100.00 व. ग.		30'-0" x 30'-0" = 100.00 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :-

- (i) योजना / प्लान के अनुसार :- 20'-0"
- (ii) मौके अनुसार :- 15'-0"

6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण:- सड़क मार्गाधिकार को योजनानुसार 20'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से 2'-6" चौड़ी भू-पट्टी सड़क समानान्तर समर्पित करवाई जानी है।
7. स्वामित्व रिपोर्ट :- अंकित नहीं है।
8. मौका रिपोर्ट :- मौके पर भू सं. 43 व 44 को मिलाकर एक भूखण्ड करके निर्माण कर रखा है। मौके पर भूखण्ड जीरो सैटबैक पर निर्मित है। (71/एन)
9. प्रस्तावित पुनर्गठन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :- मूल एजेण्डा में उपलब्ध है।
10. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड (43+44)	पैरामीटर	प्रस्तावित पुनर्गठित भू. सं. 43+44 पर देय पैरामीटर
अग्र	0'-0"	अग्र	0'-0"
साइड प्रथम	0'-0"	साइड प्रथम	0'-0"
साइड द्वितीय	0'-0"	साइड द्वितीय	0'-0"
पीछे	0'-0"	पीछे	0'-0"

11. टिप्पणी :-

1. आवेदक द्वारा अमरनाथ की बगीची कच्ची बस्ती योजना के दो भूखण्ड सं. 43+44 क्षेत्रफल $15'-0" \times 30'-0" = 50.00 \text{ व. ग. } \text{ व } 15'-0" \times 30'-0" = 50.00 \text{ व. ग. कुल } (30'-0" \times 30'-0") = 100.00 \text{ व. ग. का पुनर्गठन चाहा गया है।}$
2. मौका रिपोर्ट अनुसार अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी। इस बाबत अग्र सैटबैक में निर्माण 10 वर्ष पुराना है, का प्रमाणित दस्तावेज/सबूत हेतु आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट एवं भूखण्ड का उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3. मौका रिपोर्ट अनुसार साइड व पीछे के सैटबैक में अवैध निर्माण है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 की अनुपालना किसी भूखण्ड के उपविभाजन के अनुमोदन से सैटबैक में किये गये अवैध निर्माण का नियमन नहीं माना जायेगा, इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. भवन विनियम 2010 की तालिका "1" अनुसार अग्र सैटबैक 3.00 मी. अंकित है जबकि योजनानुसार सैटबैक 0'-0" है। अतः योजनानुसार सैटबैक रखा जाना प्रस्तावित है।

12. शुल्क

■ भू सं. 43+44

i. पुनर्गठन शुल्क (100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 8362/- रुपये।


ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 2091/- रुपये।

13. प्रस्ताव :— उपरोक्तानुसार पुनर्गठन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

14. समिति का निर्णय :— प्रकरण में स्वामित्व की रिपोर्ट प्राप्त की जाये तत्पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जायें।


अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर


सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अति० मुख्य नियोजक
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अति० मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रस्ताव सं. 15

दिनांक 29.05.2013

अप्रैल माह में जो प्रकरण कार्यालय में प्राप्त किये गये थे उनके निस्तारण की कार्यवाही को बैठक में रिव्यू किया गया व निम्न निर्णय लिया गया।

- भूखण्ड संख्या 16 गोविन्द मार्ग, बावत् निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण तथ्यों के साथ की इस भूखण्ड की एक और अन्य पत्रावली, निदेशक विधि को किस संदर्भ में व क्यों भेजी गई। उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है। विषयान्तर्गत पत्रावली पर जो कार्यवाही की गई है व प्रकरण बावत् विस्तृत नोट आयुक्त आयोजना द्वारा बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
- भूखण्ड संख्या ओ-1, हॉस्पिटल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर की स्वामित्व की रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना आयुक्त आयोजना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण को आगामी बैठक में की गई कार्यवाही के साथ प्रस्तुत करें।
- भूखण्ड संख्या-77 राजापार्क, जयपुर पर आवश्यक कार्यवाही कर आयुक्त आयोजना प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।


अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर


सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अति० मुख्य नियोजक
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
अति० मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर


आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- निजी सहायक, मा. महापौर महोदया, नगर निगम, जयपुर।
- निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
- अति० मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
- संबंधित आयुक्त, जोन, नगर निगम, जयपुर।
- गार्ड फाईल।


सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर